

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 1982/चैत्र 18, 1904
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 1982/CHAITRA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 15-ईटीसी (पीएन)/82

[नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1982]

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय: 1982-83 के दौरान भारतीय बकरी के मांस के निर्यात से संबंधित नीति।

सि० सं० 1/8/82 ई-1.—आयात-निर्यात नीति अप्रैल, 1982—मार्च, 1983, जिसमें
2 के पृष्ठ 11 पर दाने वाले नीति विवरण की क्रम सं० 6 (ग) के मामले संकेतित भारतीय
बकरी के मांस की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 अब यह निश्चय किया गया है कि भारतीय बकरी के मांस के निर्यात की मासिक उच्चतम सीमा ताजा मांस और पशुघन निर्यातिक संघ, बम्बई और उप मु० लि० प्रा० लि०, कोचीन के साथ-साथ गुजरात राज्य निर्यात निगम लि०, अहमदाबाद के निपटान पर भी रखी जाए।

3. आयात-निर्यात नीति प्रारंभ 82—मार्च, 83, जिल्द 2 में निहित नीति विवरण की क्रम सं० 6(ग) के मामले की शर्तें सं० (3) और (4) (लाइसेंस नीति) में आने वाले शब्द "ताजा मांस और पशुघन निर्यातिक संघ" के पश्चात् "गुजरात राज्य निर्यात निगम लि०" शब्द सन्तुष्ट हो जायें।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य निर्यातक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 15-ETC(PN)82

New Delhi, the 8th April, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

Sub : Export of Meat of Indian Goat during 1982-83—Policy regarding.

F. No. 1/8/82-ET.—Attention is invited to the export policy of Meat of Indian Goat indicated against Sl. No. 6(c) of Policy Statement on page 11 of Volume II of Import and Export Policy—April, 1982—March, 1983.

2. It has since been decided to place a monthly ceiling for export of Meat of Indian Goat at the disposal of the Gujarat State Export Corporation Ltd., Ahmedabad, in addition to the Fresh Meat and Live stock Exporters' Association, Bombay and the Dy. Chief Controller of Imports and Exports, Cochin.

3. Accordingly, the words "Gujarat State Export Corporation Ltd., Ahmedabad" shall be added after the words "Fresh Meat and Livestock Exporters' Association at Bombay" occurring in conditions No. (iii) and (iv) (Licensing Policy) against Sl. No. 6(c) of the Policy Statement contained in Vol. II of Import and Export Policy—April 1982—March 1983.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports & Exports.